CURRENT AFFAIRS

Result Mitra

NEWS FOR UPSC

UPSC, IAS/PCS

State Exam

All Exam

04 Jan. 2025

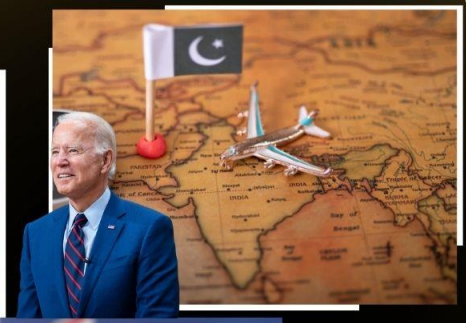

ABHAY SIR

तलाश सिर्फ दिल को सुकून की होती है !
नाम रिश्तों का चाहे कुछ भी हो !!

बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर होगी अब पैरेंट्स की नजर

- हाल ही में केंद्र सरकार एक विधायक लाने वाली है जिसके अनुसार बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या उसे चलाने के लिए पैरेंट्स से अनुमति लेनी होगी।

- संसद ने लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की थी इसी आधार पर यह मसौदा नियम जारी किए जा रहे हैं।

- **मसौदा नियम में :–** किसी व्यक्ति से स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र का गठन।

- साथ ही बच्चों के डाटा का किसी भी रूप में उपयोग करने से पहले उन्हें माता-पिता की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी।

- डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम 2023 में डाटा फिड्यूशियरी शब्द का प्रयोग किया गया है जो व्यक्तिगत डाटा एकत्र करने और उसका उपयोग करने वाली संस्थाओं को इंगित करता है।

HINDI NEWS / NATIONAL

बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैरेंट्स से लेनी होगी मंजूरी, डेटा सुरक्षा पर केंद्र के बिल में क्या-क्या?

संसद द्वारा लगभग 14 महीने पहले डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दिए जाने के बाद मसौदा नियम जारी किए गए हैं। मसौदा नियम में किसी व्यक्ति से स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है। इसी के साथ बच्चों के डाटा का किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य होगी।

Source :– दैनिक जागरण

- मसौदा नियम में प्रावधान है कि डाटा फिड्यूशियरी को बच्चे के किसी भी व्यक्तिगत डाटा का उपयोग करने से पहले सुनिश्चित करना होगा की इस कार्य के लिए उसने संबंधित बच्चे के माता-पिता की सहमति प्राप्त कर ली है।

- डाटा फिड्यूशियरी को जांचना होगा कि खुद को बच्चे का माता-पिता बताने वाला व्यक्ति वयस्क है या नहीं।

- डाटा फिड्यूशियरी किसी भी बच्चे या व्यक्ति का डाटा केवल उस समय तक रख सकता है जब तक उसको रखने की अनुमति होगी या सहमति प्रदान की गई है। उसके बाद डेटा को हटा देना होगा।

- डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2023 (Digital Personal Data Protection Bill, 2023) भारत में व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कानून है।

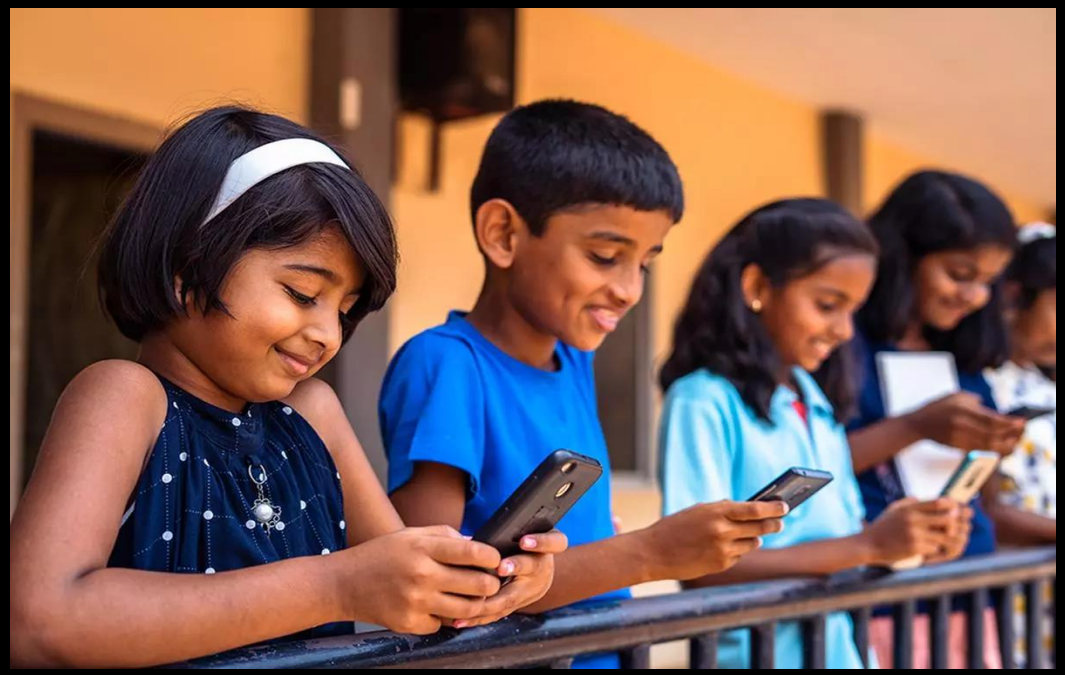

❑ विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

1. डेटा का उपयोग और सहमति:

- ❑ डेटा केवल उस उद्देश्य के लिए संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए उपयोगकर्ता ने सहमति दी है।
- ❑ उपयोगकर्ता किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।
- ❑ डिजिटल डाटा संरक्षण विधेयक 2023 (Digital Personal Data Protection Bill, 2023) भारत में व्यक्तिगत डिजिटल डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कानून है।

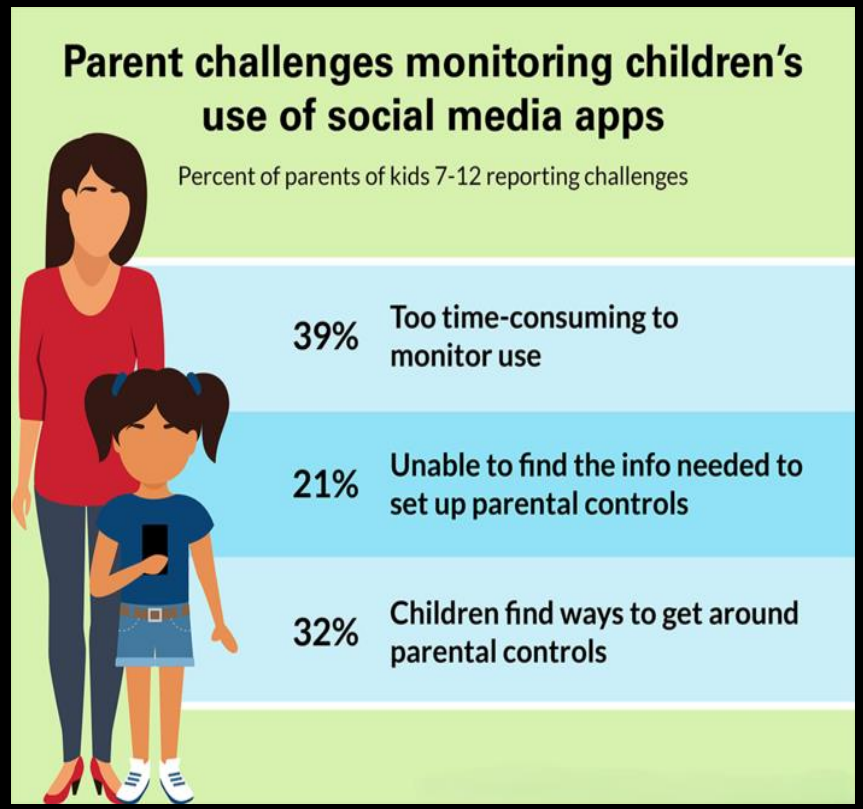

2. डेटा संरक्षण बोर्ड:

- ❑ डेटा सुरक्षा और विवादों को हल करने के लिए एक "डेटा संरक्षण बोर्ड" का गठन किया जाएगा।

3. डेटा अधिकार:

- ❑ व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, उसे ठीक करने, और हटाने का अधिकार उपयोगकर्ता को होगा।
- ❑ उपयोगकर्ता को यह जानने का अधिकार होगा कि उनका डेटा किस उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है।

4. डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता:

- ❑ डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम होंगे।
- ❑ 5. डेटा उल्लंघन की रिपोर्टिंग:
- ❑ डेटा उल्लंघन की सूचना 72 घंटे के भीतर डेटा संरक्षण बोर्ड को दी जानी चाहिए।

6. कठोर दंड:

- ❑ नियमों के उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- डेटा उल्लंघन के गंभीर मामलों में जुर्माना 500 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

7. डेटा का भौगोलिक स्थान:

- डेटा भारत के भीतर या भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट "अनुकूल" देशों में संग्रहीत किया जा सकता है।

- **महत्व:**
- यह विधेयक भारत में डेटा प्राइवेसी की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करता है।
- यह डिजिटल इकोसिस्टम में उपयोगकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- **आलोचना:**
- कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि विधेयक सरकार को व्यक्तिगत डेटा तक व्यापक पहुंच प्रदान कर सकता है।
- सरकारी एजेंसियों को इस कानून से छूट दिए जाने पर भी सवाल उठे हैं।
- यह कानून भारत के डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के प्रति एक बड़ा कदम है।

- प्रश्न:निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए प्रासंगिक है?
- a. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- b. भारतीय दंड संहिता, 1860
- c. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
- d. डिजिटलीकरण और डेटा संरक्षण अधिनियम, 2021सही
- उत्तर चुनें:
- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1, 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) उपरोक्त सभी

Result Mitra

Result Mitra

नौसेना की ताकत बढ़ाने 15 जनवरी को शामिल होंगे 'सूरत', 'नीलगिरि' और 'वागशीर'

- **नौसेना जल्द ही :–** देश में निर्मित अत्याधुनिक हथियारों से लैस दो जंगी जहाजों और एक डीजल- इलेक्ट्रिक से चलने वाली पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है।
- 15 जनवरी को इन्हे मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
- दोनों जहाज और पनडुब्बीअत्याधुनिक हथियारों और सेंसर्स से लैस हैं।
- इससे नौसेना की मारक क्षमता में काफी वृद्धि होगी।
- दोनों जहाजों की डिजाइन भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार की है।
- आधुनिक उड्डयन सुविधाओं से लैस नीलगिरि और सूरत में उन्नत किस्म के हल्के हेलिकाप्टर चेतक, सी किंग के अलावा नौसेना में हाल ही में शामिल एमएच-60आर हेलिकाप्टरों को तैनात किया गया है।

- जंगी जहाज सूरत और नीलगिरि भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण युद्धपोत थे। इन दोनों जहाजों का भारत के नौसेना इतिहास में खास स्थान है।

1. आईएनएस सूरत (INS Surat)

- सूरत भारतीय नौसेना का एक आधुनिक और उन्नत युद्धपोत है।
- इसे भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम क्लास (Vishakhapatnam Class) में शामिल किया गया है।
- यह एक डिस्ट्रॉयर जहाज है, जो दुश्मन के जहाजों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है।
- सूरत को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock Shipbuilders Limited) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।

- इसमें उन्नत मिसाइल, सेंसर, और रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।

2. आईएनएस नीलगिरि (INS Nilgiri)

- नीलगिरि भारतीय नौसेना का पहला नीलगिरि क्लास फ्रिगेट (Nilgiri Class Frigate) था।
- इसे ब्रिटिश लींडर क्लास फ्रिगेट की तर्ज पर तैयार किया गया था।
- इसका निर्माण 1972 में मझगांव डॉक में किया गया और इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
- यह जहाज मुख्य रूप से गश्त, निगरानी, और समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था।
- नीलगिरि क्लास के अन्य जहाज भी भारतीय नौसेना की रीढ़ बने रहे, जैसे हिमगिरी, उधयगिरी, और दुर्गा।

- वर्तमान में नीलगिरि-क्लास की जगह स्टेल्थ फ्रिगेट्स ने ले ली है।
- इन जहाजों का महत्व
- सूरत जैसे आधुनिक युद्धपोत नौसेना को सामरिक बढ़त और दुश्मनों के खिलाफ शक्ति प्रदान करते हैं।
- नीलगिरि जैसे जहाज भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भरता अभियान की शुरुआत थे।
- ये जहाज भारत की समुद्री ताकत और वैश्विक नौसैनिक क्षमताओं को दर्शाते हैं।

- **आईएनएस वागशीर (INS Vagsheer)** भारतीय नौसेना की कलवरी-क्लास की छठी और अंतिम डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है। यह भारतीय नौसेना के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और इसे अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है।

❑ वागशीर का परिचय

1. नाम का महत्व:

❑ वागशीर का नाम एक खतरनाक समुद्री मछली पर आधारित है, जो गहराई में शिकार करने की क्षमता रखती है।

❑ यह पनडुब्बी आधुनिक भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम है।

2. निर्माण और डिजाइन:

❑ इसे मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा बनाया गया है।

❑ यह फ्रांस की स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बी पर आधारित है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने डिज़ाइन किया है।

3. आधुनिक तकनीक:

❑ डीजल-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस, जो इसे गहरे पानी में लंबे समय तक काम करने की क्षमता देता है।

- इसमें स्टेल्थ तकनीक है, जिससे यह रडार की पकड़ में नहीं आती।
- उन्नत सेंसर और हथियार, जैसे टॉरपीडो और एंटी-शिप मिसाइलों से लैस है।
- गुप्त ऑपरेशनों, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है।

4. स्वदेशीकरण का योगदान:

- इस पनडुब्बी का निर्माण भारत की मेक इन इंडिया योजना के तहत किया गया है।
- इसके निर्माण में भारतीय कंपनियों और संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

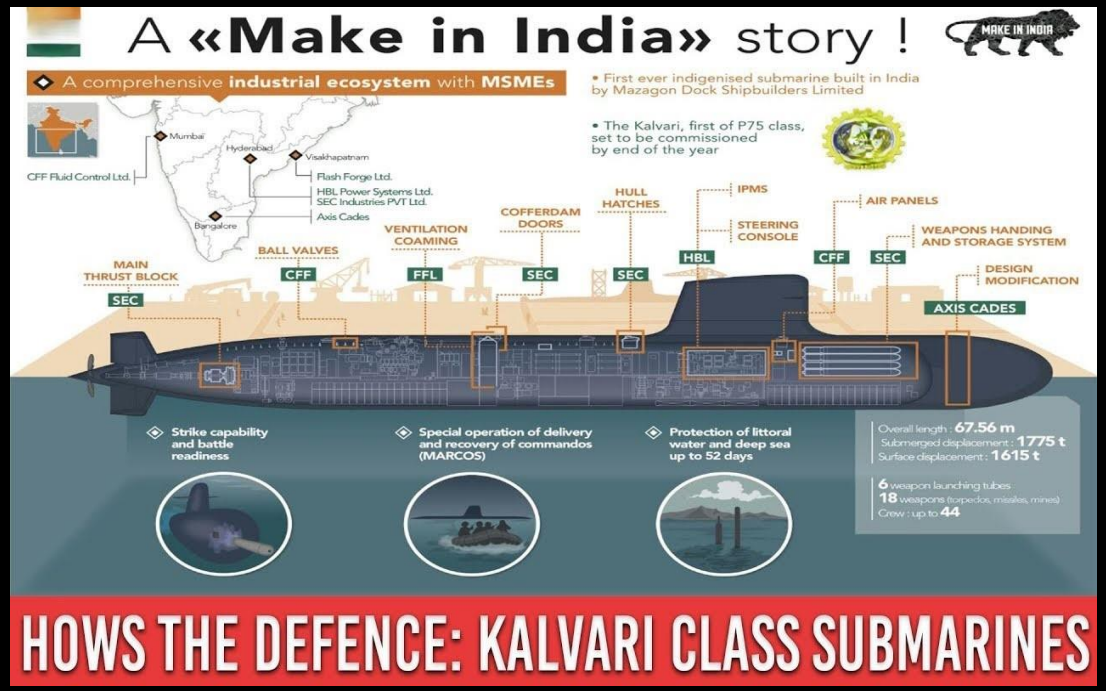

❑ आईएनएस वागशीर का महत्व

1. सुरक्षा में योगदान:

❑ यह भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

❑ दुश्मन पनडुब्बियों और जहाजों पर नजर रखने और उन्हें नष्ट करने में सहायक है।

2. रणनीतिक ताकत:

❑ यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नौसैनिक ताकत को बढ़ाती है।

❑ चीन और अन्य शक्तियों की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देने में सक्षम है।

3. आत्मनिर्भरता का प्रतीक:

❑ वागशीर भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं और स्वदेशीकरण के प्रयासों का प्रतीक है।

- वागशीर :– दुनिया के सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक
- स्कार्पीन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है वागशीर।
- यह डीजल और बिजली दोनों से चलेगी।
- यह दुनिया के सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक है।

- उद्देश्य:– समुद्र से सतह पर अपने टारगेट को सटीक रूप से नष्ट करने, एंटी-शिप मिसाइल को हवा में मार गिराने, खुफिया जानकारी जुटाने और कई अन्य विशेष कार्यों को अंजाम देने के लिए सक्षम।
- 'वागशीर' हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक शिकारी मछली है जिसके नाम पर पनडुब्बी का नामकरण किया गया है।

❑ प्रश्न 1: भारतीय नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है?

1. भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा

2. समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना

3. मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) प्रदान करना

4. अंतरिक्ष रक्षा का प्रबंधन

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 1, 2 और 3

(C) केवल 1 और 4

(D) उपरोक्त सभी

Result Mitra

Result Mitra
जल्लीकट्टू (Jallikattu)

- जल्लीकट्टू से संबंधित विषय UPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खासकर भारतीय संस्कृति, सामाजिक मुद्दे, और संविधान व पर्यावरण कानूनों के अंतर्गत। इस विषय पर प्रश्न मुख्य रूप से निबंध, प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स या मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर II और III में आ सकते हैं।

- जल्लीकट्टू (Jallikattu) :– यह तमिलनाडु की एक पारंपरिक खेल और सांस्कृतिक परंपरा है
- इसमें बैलों को काबू में करने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।
- जल्लीकट्टू का इतिहास 2,000 वर्षों से भी पुराना माना जाता है
- यह तमिल संस्कृति और ग्रामीण जीवन का एक अहम हिस्सा है।
- आयोजन :– पोंगल त्योहार के समय, खासतौर पर जनवरी के महीने में

- **जल्लीकट्टू का आयोजन:**
- उद्देश्य: इस खेल का उद्देश्य बैल को काबू करना या उसकी पीठ पर चढ़कर उसे नियंत्रित करना होता है।
- **स्थान:** इसे मुख्य रूप से तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में, विशेष रूप से मदुरै, त्रिची, और सलेम जैसे जिलों में आयोजित किया जाता है।
- प्रक्रिया: बैलों को खुला छोड़ा जाता है, और प्रतिभागी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बैलों को चोट पहुंचाना मना होता है।
- **सांस्कृतिक महत्व:**
- जल्लीकट्टू तमिलनाडु के किसानों के लिए एक गर्व का विषय है। यह बैलों की ताकत और साहस को प्रदर्शित करता है।
- यह परंपरा किसानों के कृषि जीवन और उनके मवेशियों से जुड़े रिश्ते का प्रतीक है।

- **विवाद और कानूनी पहलू:**
- जल्लीकट्टू को लेकर समय-समय पर विवाद होते रहे हैं। जानवरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले संगठनों का कहना है कि इस खेल में जानवरों के साथ क्रूरता की जाती है।
- 2014 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रोकने का आदेश दिया था, लेकिन तमिलनाडु में भारी विरोध के बाद 2017 में इसे फिर से कानूनी अनुमति दी गई।
- **UPSC के लिए जल्लीकट्टू के प्रमुख पहलू:**

2. कानूनी और संवैधानिक पहलू:

- **2014 में प्रतिबंध**: सुप्रीम कोर्ट ने पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) और अन्य संगठनों की याचिका पर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया।

- **2017 में अध्यादेश:** तमिलनाडु सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे कानूनी रूप से वैध किया।
- **संविधान के अनुच्छेद:**
- अनुच्छेद 48: पशुधन की रक्षा और सुधार।
- अनुच्छेद 29(1): सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार।

3. पर्यावरण और पशु अधिकार:

- पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम, 1960 के तहत इसे प्रतिबंधित करने की मांग की गई।
- पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि इस खेल में बैलों के साथ क्रूरता होती है।
- दूसरी ओर, समर्थकों का कहना है कि यह स्थानीय बैल नस्लों के संरक्षण के लिए आवश्यक है।

Result Mitra

5. आर्थिक महत्व:

- जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है।
- पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए यह बैल पालन को प्रोत्साहित करता है।
- दक्षिण भारत में जल्लीकट्टू जैसे पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व वाले कई अन्य त्योहार हैं,

1. जल्लीकट्टू (तमिलनाडु)

- **कब:** पोंगल त्योहार के दौरान (जनवरी)।
- महत्त्व: यह एक बैल नियंत्रण प्रतियोगिता है, जिसे शक्ति, साहस और परंपरा का प्रतीक माना जाता है।
- **विशेषता:** बैलों को पकड़ने की यह प्रतियोगिता ग्रामीण तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है।

2. मकरविलक्कू (सबरीमाला, केरल)

- **कब:** जनवरी (मकर संक्रांति के आसपास)।
- **महत्त्व:** भगवान अयप्पा को समर्पित यह पर्व तीर्थयात्रा और पवित्र अग्नि दर्शन का प्रतीक है।
- **विशेषता:** सबरीमाला मंदिर में लाखों भक्त एकत्र होते हैं।

3. थिरुवथिराई (केरल)

- कब: दिसंबर-जनवरी।
- महत्त्व: भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का उत्सव।विशेषता: महिलाएँ उपवास रखती हैं, पारंपरिक नृत्य करती हैं, और "थिरुवथिराई काली" नामक मीठा व्यंजन बनाती हैं।

4. पुलीकली (केरल)

- **कब:** ओणम के दौरान।
- **महत्त्व:** यह पारंपरिक टाइगर डांस है, जिसमें लोग बाघ की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं।
- **विशेषता:** यह एक रंगीन और मनोरंजक प्रदर्शन होता है।

5. बोनालू (तेलंगाना)

- **कब:** जुलाई-अगस्त।
- **महत्त्व:** देवी महाकाली को समर्पित यह पर्व उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है।
- **विशेषता:** महिलाएँ देवी को अर्पित करने के लिए सिर पर बर्तन (बोनम) लेकर जाती हैं।

6. कंबला (कर्नाटक)

- **कब:** नवंबर-मार्च।
- **महत्त्व:** यह एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में आयोजित होती है।
- **विशेषता:** यह त्योहार ग्रामीणों की कृषि परंपराओं से जुड़ा है।

7. थेय्यम (केरल)

- **कब:** अक्टूबर से अप्रैल तक।
- **महत्त्व:** यह अनुष्ठानिक नृत्य प्रदर्शन है, जिसमें स्थानीय देवताओं और नायकों की पूजा की जाती है।
- **विशेषता:** नर्तक अत्यधिक रंगीन वेशभूषा और मुखौटे पहनकर प्रदर्शन करते हैं।

Result Mitra

8. वीरागसे (कर्नाटक)

- **कब:** विभिन्न अवसरों पर।
- **महत्त्व:** यह वीर शिवाजी की पूजा से जुड़ा एक लोकनृत्य है।
- **विशेषता:** नर्तक युद्ध की कहानियों को प्रदर्शित करते हैं।

9. बूमि हब्बा (कर्नाटक)

- **कब:** फसल कटाई से पहले।
- **महत्त्व:** भूमि और प्रकृति को समर्पित यह त्योहार खेती की तैयारी के लिए मनाया जाता है।
- **विशेषता:** किसान भूमि की पूजा करते हैं और फसल के अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं।

10. अट्टुकल पोंगल (केरल)

- **कब:** फरवरी-मार्च।
- **महत्त्व:** इसे "महिला पोंगल" कहा जाता है और अट्टुकल भगवती मंदिर में विशेष पूजा होती है।
- **विशेषता:** लाखों महिलाएँ एक साथ पारंपरिक व्यंजन पकाती हैं।

11. कारगाह (कर्नाटक)

- **कब:** अप्रैल।
- महत्त्व: यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो द्रौपदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है।
- **विशेषता:** लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत के साथ इसमें भाग लेते हैं।

प्रश्न : जल्लीकट्टू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक पारंपरिक खेल है जिसमें बैलों को नियंत्रित किया जाता है।
2. यह पोंगल उत्सव का हिस्सा है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2014 में प्रतिबंधित किया था।

सही उत्तर चुनें:

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1, 2 और 3

(D) केवल 1 और 3

Result Mitra

विश्व ब्रेल दिवस (World Braille Day)

❑यूपीएससी परीक्षा में प्रासंगिकता:

❑सामान्य अध्ययन (GS) के पेपर 1 में सामाजिक सशक्तीकरण के तहत दृष्टिहीन लोगों के लिए योजनाओं और प्रयासों का उल्लेख किया जा सकता है।

❑GS पेपर 2 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के अंतर्गत दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए प्रावधानों पर चर्चा की जा सकती है।

❑निबंध लेखन में "सामाजिक समावेशन और ब्रेल का महत्व" जैसे विषयों पर लिखा जा सकता है।

❑ हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है।

❑यह दिन विशेष रूप से दृष्टिहीन और नेत्रहीन लोगों के अधिकारों और उनके जीवन में ब्रेल लिपि के महत्व को समझाने के लिए समर्पित है।

❑इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 से मान्यता दी गई है।

❑यूपीएससी के संदर्भ में विश्व ब्रेल दिवस:

❑विश्व ब्रेल दिवस के संबंध में निम्नलिखित बिंदु उपयोगी हो सकते हैं:

❑1. ब्रेल लिपि का इतिहास:

❑ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल (Louis Braille) ने किया था, जो फ्रांस के एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे।

❑लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी, 1809 को हुआ था।

❑उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है।

❑यह लिपि 6 बिंदुओं के उभार (dots) के माध्यम से दृष्टिहीन लोगों को पढ़ने और लिखने में सक्षम बनाती है।

❑2. महत्व:

❑यह दिवस दृष्टिहीन और नेत्रहीन लोगों के मानवाधिकारों, समानता और अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।

❑संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) में भी विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है।

❑3. ब्रेल और भारत:

❑भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों की मदद के लिए कई सरकारी योजनाएं और संस्थान हैं, जैसे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ (National Association for the Blind)।

❑भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, और सार्वजनिक सहायता की गारंटी देता है।

❑भारत में ब्रेल का उपयोग शिक्षा और पुस्तकों की उपलब्धता में तेजी से बढ़ा है। भारतीय ब्रेल प्रेस जैसे संस्थान दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल सामग्री प्रकाशित करते हैं।

❑यह विषय यूपीएससी प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

❑विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।

Result Mitra

❑भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, और सार्वजनिक सहायता की गारंटी देता है।

❑भारत में ब्रेल का उपयोग शिक्षा और पुस्तकों की उपलब्धता में तेजी से बढ़ा है। भारतीय ब्रेल प्रेस जैसे संस्थान दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल सामग्री प्रकाशित करते हैं।

❑यह विषय यूपीएससी प्रारंभिक (Prelims) और मुख्य परीक्षा (Mains) दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

❑विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून है।

Result Mitra

❑इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:

❑1. विकलांगता की परिभाषा का विस्तार:

❑विकलांगता की श्रेणियाँ 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई हैं। इनमें मानसिक बीमारियाँ, आत्मकेंद्रित, दृष्टिहीनता, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, आदि शामिल हैं।

❑विशेष विकलांगता की एक नई श्रेणी बनाई गई है, जिसमें बहु-विकलांगता और जटिल परिस्थितियाँ शामिल हैं।

❑2. अधिकार और सुविधाएँ:

❑शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पुनर्वास, और सामाजिक भागीदारी के क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं।

❑सभी सार्वजनिक भवनों, परिवहन, और सेवाओं को विकलांग-अनुकूल बनाया जाएगा।

❑विकलांग बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार।

❑3. आरक्षण में वृद्धि:

❑सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है।

❑4. दंडात्मक प्रावधान:

❑यदि कोई व्यक्ति या संस्था विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

❑5. विशेष संस्थान:

❑केंद्र और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय और राज्य विकलांग व्यक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

❑6. समावेशन और भागीदारी:

❑विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

❑उन्हें मतदान, संपत्ति रखने, और अन्य नागरिक अधिकारों में भेदभाव के बिना भाग लेने का अधिकार है।

❑इस अधिनियम का महत्व:

❑यह कानून विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें समाज का सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।

❑यह केवल भौतिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि विकलांग व्यक्तियों की गरिमा, आत्मनिर्भरता, और समानता सुनिश्चित करता है।

❑चुनौतियाँ:

❑अधिनियम के कार्यान्वयन में बुनियादी ढाँचे की कमी।

❑जागरूकता का अभाव।

❑सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में समावेशी नीतियों का अभाव।

Result Mitra

रानी बेलू नचियार (1730–1796) भारत के तमिलनाडु की एक
प्रख्यात रानी और स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला योद्धा थीं

❑उन्हें "प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रानी" के रूप में भी जाना जाता है।

❑ बेलू नचियार शिवगंगा राज्य की रानी थीं और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया।

❑प्रमुख तथ्य:

1. जन्म और पृष्ठभूमि:

❑रानी बेलू नचियार का जन्म 1730 में रामनाथपुरम के राजा चेल्ला मुदलियार और रानी सकंदी मुदलियार के घर हुआ था।

❑उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला और भाषाओं (उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी) में निपुण बनाया गया था।

❑2. शिवगंगा राज्य की रानी:

❑उनकी शादी शिवगंगा के राजा मुथुवदुगनाथ पेरियाउडया थेवर से हुई। 1772 में, ब्रिटिश सेना ने उनके राज्य पर हमला किया और राजा मारे गए।

❑ इस घटना के बाद, रानी ने अपने राज्य को वापस लेने की प्रतिज्ञा की।

❑3. ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह:

❑रानी बेलू नचियार ने मरुधु पांड्य भाइयों और अपने विश्वस्त सेनानायक थांडवरायन के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध की योजना बनाई।

- वह 1780 में शिवगंगा पर पुन: अधिकार करने में सफल रहीं।

- 4. आधुनिक रणनीति:
- रानी बेलू नचियार ने अपने विद्रोह में बारूद बनाने और युद्ध के लिए आत्मघाती हमलावरों का भी सहारा लिया।
- उन्हें भारत की पहली महिला के रूप में माना जाता है जिन्होंने "सुसाइड बॉम्बर" का उपयोग किया।

- 5. उत्तराधिकार और मृत्यु:
- रानी ने अपने शासनकाल में शिवगंगा राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। 1796 में उनकी मृत्यु हुई।

❑ सम्मान:

❑ भारत सरकार ने उनकी याद में डाक टिकट जारी किया है।

❑वह तमिलनाडु और पूरे भारत में साहस, नेतृत्व और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए पूजनीय हैं।

❑रानी बेलू नचियार का जीवन भारतीय इतिहास में महिलाओं के अद्वितीय साहस और शक्ति का प्रतीक है।

THANK YOU

Result Mitra

@resultmitra / 8650457000

@resultmitra

@resultmitra

Result